

उर्दू भाषा के संवर्धन के संबंध में जाफरी समिति का प्रतिवेदन

3381. श्री मोहम्मद अफजल उर्फ सीम अफजल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 17 जुलाई, 1992 को राज्य सभा में अतिरिक्त प्रश्न सं० 911 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्दू भाषा के संवर्धन से संबंधित अली सरदार जाफरी समिति के प्रतिवेदन पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(ख) इस पर कब तक कार्यवाही की जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) उर्दू प्रौन्नति के लिए गुजरात समिति (जाफरी समिति) की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जांच करने संबंधी समिति की रिपोर्ट पर सरकार अभी भी विचार कर रही है।

जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्व-विद्यालय

3382. श्री शिवप्रसाद चनपुरिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में संस्कृत, पाली तथा प्राकृत विभाग ने कितने छात्र अध्ययनरत हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि इसमें छात्रों की अपेक्षा शिक्षकों की संख्या अधिक है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के संस्कृत

पाली, एवं प्राकृत विभाग में इस समय 52 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं।

(ख) जी, नहीं। विभाग में आठ अध्यापक हैं।

काम-काजी महिलाओं की भलाई हेतु शिशु-गृह

3383 श्रीमती उर्मिला विमलभाई पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कामकाजी महिलाओं की भलाई हेतु शिशु-गृह (नैच) खोलने के संबंध में कोई योजना शुरू की थी,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में, विशेषकर गुजरात में इस योजना को बन्द कर दिया है,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) क्या सरकार निकट भविष्य में इस योजना को पुनः आरम्भ करने का विचार रखती है, यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री श्रीमती नासब राजेश्वरी : (क) जी, हां शिशुगृह/दिवस देखभाल केन्द्र स्कीम कामकाजी महिलाओं के लाभ के लिए 1975 में शुरू की गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

महिलाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए कदम

3384. श्रीमती उर्मिला विमलभाई पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बलात्कार-अपराधों तथा आधिक कठिनाईयों के कारण पढ़ी-लिखी लड़कियों द्वारा कॉल-गर्ल का पेशा अपनाने के संबंध में महिलाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के अनेक शहरों तथा गांवों में वेश्या-वृत्ति का घंघा चल रहा है और यह कि महिलाओं को बलपूर्वक वेश्या बनाने के लिए मजबूर किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में कौन-कौन से कदम उठा रही है तथा इसे समाप्त करने के लिए कौन-कौन से प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) क्या कतिपय समुदायों में माता-पिता परम्परागत रीति से अपनी बेटियों को वेश्या बनने की अनुमति देते हैं और पूरा परिवार उसकी आय पर निर्भर करता है, जैसा कि मुजरास और राजस्थान के कुछ गांवों में यह प्रचलित है, और

(ङ) क्या सरकार इस प्रथा को समाप्त करने हेतु किसी विशेष योजना के माध्यम से कोई विशेष प्रयास कर रही है, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती नासब राजेश्वरी) : (क) से (ग) महिलाओं के साथ किए जाने वाले अपराधों, जिनमें बलात्संग और वेश्यावृत्ति भी शामिल है, के संबंध

में भारतीय दण्ड संहिता, 1860, अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के उपबंधों सहित अनेक विधान हैं। समाज में वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए 1956 में अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम को और अधिक कड़ा और कारगर बनाने के लिए इसमें 1978 और 1986 में संशोधन किए गए। यह अधिनियम, महिलाओं और लड़कियों के अपहरण, बिक्री और अवैध बन्दीकरण के खिलाफ बनाए गए स्थाई नियमों का पूरक है। इन विधानों के कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों का है। उन्हें समय-समय पर कहा गया है कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानूनों का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

भारत सरकार ने महिलाओं के दर्जे में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए हैं और किशोर लड़कियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन उपायों में जागृति विकास, प्रशिक्षण, वचत, ऋण सुविधाएं तथा अन्य रोजगार उत्पादक कार्यक्रम शामिल हैं।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

महिलाओं का वेद-पाठ संबंधी अधिकार

3385. श्रीमती उर्मिला छिमेनभाई पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने महिलाओं को वेद-पाठ के अधिकारों से वंचित करने के संबंध में कुछ पत्रों में हाल ही में टिप्पणी की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?